राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्वेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2021/ 4870 जयपुर, दिनांक : 10/2/2021

आयुक्त,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः–वर्ष 2021 जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा जिला स्तरीय भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों वर्ष 2021 का वितरण किया जावेगा। अतः संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एव दैनिक भास्कर के राजस्थान से प्रकाशित सभी संस्करणों में डीआईपीआर द्वारा निर्धारित साईज में डी पी आर द्वारा निर्धारित दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार मय सीडी।

भवदीय

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2021/ 4871–76 जयपुर, दिनांक : 10/2/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त निदेशक(आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सहायक निदेशक विज्ञापन प्रशाखा डीआईपीआर राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
4. समस्त जिलाधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय भारत रत्न डा.भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 43622 दिनांक 24.7.2019 की पालना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यावास को दो अतिरिक्त प्रतियों में।
6. स्टोर कीपर, मुख्यावास।

निदेशक एवं ~~संयुक्त~~ शासन सचिव

c:\users\ad sir\desktop\desktop\ambedkar jayanti - copy.docx

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2021/4878 जयपुर, दिनांक : 10/02/21

विज्ञप्ति

वर्ष 2021 हेतु जिला स्तरीय भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2021 दिये जाने है इस पुरस्कार मात्र प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा कोई नकद राशि नहीं दी जायेगी। अतः निम्न पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क.सं	पुरस्कार	क्षेत्र
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2.उपखण्ड अधिकारी द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3.संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। 4.सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका/ योगदान रहा हों। 5.संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।
2	अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	1.महिला जिले की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2.उपखण्ड अधिकारी द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3.संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4.महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हों। 5.संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये हो।
3	अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1.अधिवक्ता जिले का मूल निवासी हो। 2.ज्यूडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट/अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, जिला न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की हों। ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव। 4.अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

नोट : आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.3.2021 तक डाक से अथवा व्यक्तिशः जिले के साामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कार्यालय में जमा कराए जा सकते है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गत वर्षो मे पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www. sje. rajasthan. gov. in एंव जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव